



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं- 1263]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2014/ज्येष्ठ 23, 1936

No- 1263]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2014/JYAISTHA 23, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2014

का.आ. 1521 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956का 48) की धारा 2 की उप-धारा)2यों का प्रयोग करते हुए शक्तिद्वारा प्रदत्त (एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3 उप खंड)-ii), संख्या का.आ. 689(अ), दिनांक अप्रैल 4, के तहत प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन 2011 और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

अनुसूची में क्रम संख्या पित किया लिखित प्रतिस्थायों में निम्नके लिए और इससे संबंधित प्रविष्टि 207 जाएगा, अर्थात्:—

तालिका

1(2(3(
207	68	राजस्थान राज्य में जैसलमेर के निकट रारा-11 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ बाड़मेर, संचोर को जोड़ते हुए और गुजरात राज्य में थरड, भावर, राधनपुर, कमलपुर, खाखल, रोडा, दूनावड़ा, पाटन, चनश्मा, माहेसना, खेरवा, गोजरिया, सामा, चुरादा, कुवादरा को जोड़ते हुए परंतीज के निकट रारा सं. होने वाला राजमार्ग। न पर समाप्तके साथ अपने जंक्श 48

[फा.सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम)भाग(22-]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 1089 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 द्वारा किया गया था।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th June, 2014

S.O. 1521(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689 (E), dated, the 4th April, 2011, namely:—

In the Schedule, for serial number 207, and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)
207	68	The highway starting from its junction with NH-11 near Jaisalmer connecting Barmer, Sanchor in the State of Rajasthan, Tharad, Bhabar, Radhanpur, Kamalpur, Khakhal, Roda, Dunawada, Patan, Chanasma, Mahesana, Kherva, Gojariya, Sama, Churada, Kuvadara and terminating at its junction with NH-48 near Prantij in the State of Gujarat.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-22)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote:—The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 1089 (E), dated 26th February, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2014

का.आ. 1522 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का) (48)जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है द्वारा (2) की उपधारा 2 की धारा (प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ में (3) विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ-में यथा (2) विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों,य राजमार्ग घोषित किया जाना हैजिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय , को तालिका के स्तम्भ)1(,)2) और (3य राजमार्गों ओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या नई राष्ट्रीय ,ओं नई क्रम संख्या : क्रमशः विनिर्दिष्ट-में यथा (पित किया गया समझा जाएगा।स्था: अधिनियम की अनुसूची में अंतके विवरण के साथ उक्त

तालिका

क्र.सं .	नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
(1)	(2)	(3)
293	341	गुजरात राज्य में भीमासार के निकट रारा 41-के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर अंजार, भुज, खावड़ा को जोड़ते हुए और धर्मशाला में समाप्त होने वाला राजमार्ग।
294	147ए	गुजरात राज्य में लिम्बदी के निकट रारा 47-के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर सुरेन्द्रनगर, धर्मगाधरा को जोड़ते हुए और कुडा में समाप्त होने वाला राजमार्ग।
295	351	गुजरात राज्य में महुआ के निकट रारा 51-के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर सवेरकुंडला, अमरेली, बागासारा को जोड़ते हुए और रारा 27-पर जेठपुर में समाप्त होने वाला राजमार्ग।

296	953	गुजरात राज्य में अहवा को जोड़ते हुए सोनगुध के निकट रारा 53-के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर सरद, वाणी को जोड़ते हुए और महाराष्ट्र राज्य में पींपलगांव, बसबंत के निकट रारा 60-के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।
297	डी 927	गुजरात राज्य में धोराजी के निकट रारा 27-के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर जंमकंदोरना, कलावड को जोड़ते हुए और जामनगर में समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

[फा.सं. एनएच-14012/15/2013-पीएंडएम)भाग-22]

माया प्रकाश, निदेशक (पीएंडबी)

पाद टिप्पण :राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956का (48 और इसकी अनुसूचीभारत के राजपत्र में , अधिसूचना संख्याका.नि.आ. 1180, तारीख ,अप्रैल 41957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का .आ.689) अ(, तारीख 4अप्रैल ,2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का .आ .1089 (अ), तारीख ,फरवरी 262014 द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2014

S.O. 1522 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby declares each of the highways specified in the column (3) of the Table below to be a national highway, as specified in the corresponding column (2) thereof.

The highways, now declared to be national highways by this notification, shall be deemed to be inserted in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the Table.

TABLE

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
293	341	The highway starting from its junction with NH-41 near Bhimasar connecting Anjar, Bhuj, Khavda and terminating at Dharmshala in the State of Gujarat.
294	147A	The highway starting from its junction with NH-47 near Limbdi connecting Surendranagar, Dhrangadhra and terminating at Kuda in the State of Gujarat.
295	351	The highway starting from its junction with NH-51 near Mahuva connecting Saverkundla, Amreli, Bagasara and terminating at Jetpur on NH-27 in the State of Gujarat.
296	953	The highway starting from its junction with NH-53 near Songudh connecting Ahwa in the State of Gujarat, Sarad, Vani and terminating at its junction with NH-60 near Pimpalgaon Baswant in the State of Maharashtra.
297	927D	The highway starting from its junction with NH-27 near Dhoraji connecting Jamkandorna, Kalavad and terminating at Jamnagar in the State of Gujarat.

[F. No. NH-14012/15/2013-P&M (Pt-22)]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote : The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 1089 (E), dated 26th February, 2014.